कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा (राज.)

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

क्रमांक–मुजिशिअ / सशि / को / संस्था–1 / विद्या संबल योजना / 2026 / 558 दिनांक– यथाहस्ताक्षर

–:: विज्ञप्ति ::–

''विद्या सम्बल योजना''

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्या संबल योजना के अन्तर्गत मुख्य सचिव महोदय के पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026, वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30. 03.2021 एवं श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था / एफ–1ए / गेस्ट फेकल्टी / 12226 / 2024–25528–5729091 राजकाज रेफ. 24275528 दिनांक 27.08.2026 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग जिला कोटा के विद्यालयों (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर) में शिक्षकों के रिक्त पदों पर **"विद्या सम्बल योजना" के प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पद / योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) विद्या सम्बल योजना के तहत लगाऐ जाने वाले पद एवं योग्यताऐं–

क्र.सं.	पद का नाम	योग्यता
1.	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम–2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

नोटः–

1. गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।
2. विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।
3. सेवानिवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो।
4. सेवानिवृत शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।
5. भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शैक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

(2) रिक्तियां–

विद्या संबंल योजना के अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी के रूप में विद्यालयों में स्वीकृत किन्तु स्पष्ट रिक्त पद पर ही लगाया जाएगा। सम्बन्धित PEEO/प्राचार्य द्वारा गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि उक्त **पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।**

(3) रिक्तियों का प्रकाशन–

विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का प्रकाशन / अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान,CBEO कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय, तथा विभागीय वेबसाईट https://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

(4) आवेदन प्रक्रिया–

किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवानिवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, जो उस पद की पात्रता रखते हों, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र, समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर विभाग द्वारा निर्धारित की गई समय–सारणी के अनुसार अंतिम तिथि तक विद्यालय समय में संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशः विद्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

(5) वरीयता का निर्धारण–

विद्या सम्बल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विद्यालयवार प्रकाशित किए गए रिक्त पदों हेतु पद एवं विषयवार वरीयता सूची का प्रकाशन संबंधित

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। **वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़ कर किया जाएगा।**

सेवानिवृत कार्मिक को प्राथमिकता प्रदान कर वरीयता में ऊपर रखा जायेगा। सेवानिवृत कार्मिक का आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के निजी अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के निजी अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

(6) परिवेदना प्रस्तुत करनाः–

पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा **कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा में सात दिवस में** प्रस्तुत करनी होगी। जिला स्तर परिवेदना समिति निम्नानुसार होगीः–

क्र.सं.	पदनाम	विवरण
01	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कोटा	अध्यक्ष
02	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक कोटा	सदस्य
03	सम्बन्धित ब्लॉक का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
04	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कोटा शहर, कोटा	सदस्य सचिव

जिला स्तरीय परिवेदना समिति अपनी अनुशंषा सहित प्राप्त परिवेदनाओं को जिला कलक्टर कोटा अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि को अंतिम निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्तुत करेगी। जिला कलक्टर कोटा अथवा उनके द्वारा नामित/अधिकृत प्रतिनिधि का विनिश्चय इस बाबत अंतिम होगा।

(7) विद्या सम्बल योजना के तहत मानदेय–

विद्या सम्बल योजना के तहत लगाए जाने वाले गेस्ट फैकल्टी को पदवार प्रतिघण्टा मानदेय निम्नानुसार दिया जाएगा–

क्र.सं.	पद	कक्षा	प्रति घण्टा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
01	प्राध्यापक (विभिन्न विषय)	11 से 12	400 रू.	30000 रू.

(8) अन्य शर्तें–

i. चयनित अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के पद पर लगाए जाने हेतु दिए गए प्रस्ताव पर सात दिवस में सहमति प्रदान करनी होगी तथा प्राचार्य/पीईईओ द्वारा नियत किए गए दिनांक व समय पर वे कार्य करने हेतु उपस्थित होंगे।
ii. निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के आगामी क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
iii. गेस्ट फैकल्टी के रूप में सत्रांत (31.03.2027 तक) अथवा नियमित प्रक्रिया से पद भरे जाने तक जो भी पहले हो, तक के लिए पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाया जाएगा।
iv. उक्त सेवाए चुंकि गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है अतः चयनित अभ्यर्थियों द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाएं भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं चयनित अभ्यर्थी द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जा सकेगी।
v. गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए गए निजी अभ्यर्थियों/सेवा निवृत्तशिक्षकों को उन्हीं दिशा–निर्देशों के अध्यधीन रखा जायेगा, जो वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2021 में वर्णित है।
vi. गेस्ट फैकल्टी के कार्य का नियमित अवलोकन प्राचार्य/पीईईओ द्वारा किया जाएगा। निम्न कार्यकुशलता, दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य/पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

E-Mail : cdeokota@gmail.com **Tel : 0744- 2387253**

(9) कार्यक्रम एवं समय सारणीः— (नगरीय निकाय क्षेत्रों के विद्यालयों को छोडकर)

क्र.सं.	विवरण	दिनांक
1.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति का गठन	29.08.2026
2.	पीईईओ विद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन (प्राध्यापक पद के लिए)	31.08.2026
3.	अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन तिथि	01.09.2026 से 07.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
4.	प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (पीईईओ स्तर)	08.09.2026 (सांय 04:00 बजे तक)
5.	पीईईओ विद्यालय स्तरीय चयन समिति द्वारा आवेदनों पत्रों की जॉच कर एवं अभ्यर्थियों की वरीयता सूची (अस्थाई) तैयार कर जारी करना एवं **अस्थाई वरीयता सूची में आपत्तियाँ माँगना।**	09.09.2026 से 10.09.2026 (दोपहर 02:00 बजे तक)
6.	अभ्यर्थियों की आपत्तियों के निस्तारण पश्चात् अंतिम एवं स्थाई वरीयता सूची जारी कर, स्थाई वरीयता सूची के आधार पर प्रत्येक रिक्त पद के विरूद्व 03—03 अभ्यर्थियों का चयन कर चयन सूची तैयार करना।	11.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
7.	पीईईओ विद्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	12.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
8.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एवं चयन सूची संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पहुँचाना।	14.09.2026 (दोपहर 12:00 बजे तक)
9.	जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन—सूची अनुमोदन तिथि	15.09.2026 (सांय 06:00 बजे तक)
10.	आदेश जारी करना	15.09.2026 (रात्रि 11:59 PM तक)

नोटः— वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावे।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा

क्रमांक—मुजिशिअ/सशि/को/संस्था—1/विद्या संबल योजना/2026/558 दिनांक— यथाहस्ताक्षर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थः—

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमान् निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. श्रीमान राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. श्रीमान संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, जयपुर।
6. श्रीमान जिला कलक्टर, जिला कोटा।
7. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) राजस्थान, बीकानेर।
8. श्रीमान संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, कोटा संभाग, कोटा।
9. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, कोटा।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला कोटा।
11. **पीईईओ /प्राचार्य समस्त राजकीय विद्यालय जिला कोटा।**
12. कार्यालय प्रति।

Digitally signed by ANIL PORWAL
Designation: Chief District Education Officer
Date: 2026-08-28 20:53:42 IST
v-1.0

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा, कोटा

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

फोटो

1. आवेदक का नामः–
2. पिता का नामः–
3. आवेदित विद्यालय का नामः–
4. आवेदित पद का नामः–
5. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथिः–
6. जन्म तिथिः–
7. शैक्षणिक योग्यताः–

1. माध्यमिक	वर्ष––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–1
2. उच्च माध्यमिक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–2
3. स्नातक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–3
4. अधिस्नातक	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–4

8. प्रशैक्षणिक योग्यता

1. बी.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–5
2. डी.एल.एड. / समकक्ष	वर्ष–––––––	प्रतिशत–––	संलग्न–6

9. वैध पात्रता परीक्षा (आवश्यकतानुसार)– रीट,उत्तीर्णता वर्ष–––––––प्रतिशत––– संलग्न–7
10. निवास का पताः– 1. स्थाई––
––
2.वर्तमान––
––
11. मोबाईल नम्बरः–––
12. जाति वर्ग––––––––––प्रमाण पत्र संलग्न करें (आरक्षित वर्ग होने पर)। संलग्न–8
13. अन्य (विकलांग / भू.पू.सैनिक / विधवा / परित्यक्ता / स्पोर्टस पर्सन) संलग्न–9
14. आधार कार्ड की प्रति। संलग्न–10
15. मूल निवास प्रमाण पत्र। संलग्न–11
16. चरित्र प्रमाण पत्र (दो राजपत्रित अधिकारियां द्वारा प्रदत्त) संलग्न–12 व 13
17. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि–चूंकि मेरी सेवाए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जा रही है, अतः मेरे द्वारा गेस्ट फैकल्टी के तहत दी गई सेवाए भविष्य में चयनित पद के लिये स्थायी राजकीय सेवा का आधार नहीं होगी एवं मेरे द्वारा इस आधार पर राजकीय सेवा में स्थायी करने हेतु मांग नहीं की जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ संलग्नकों की सूची–संलग्नक 1 से 13 (स्व प्रमाणित छाया प्रतियां) एवं <u>वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त / सा विले नि / 2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी प्रारूप में शपथ पत्र अनिवार्य रूप से दिया जाना है</u> तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप

<u>शपथ–पथ</u>

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी...पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री........... ....विभाग..(संस्थान का नाम) में दिनांक................को गेस्ट फेकल्टी के रूप में अपनी उपस्थिति दे रहा हूं/दे रही हूं।

1. यह है कि मैंने................................विभाग/संस्थान द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक..... ....के क्रम में अपना आवेदन प्रस्तुत किया है तथा मैंने विज्ञापन में वर्णित शर्तों को पढ़ व समझ लिया है तथा उन शर्तों की पालना हेतु वचनबद्ध हूं।

2. यह है कि मैंने राजस्थान सरकार के वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6 (2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक.................को अच्छे से पढ़/समझ लिया है।

3. यह कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में भरी गयी समस्त सूचनाएं पूर्णतया सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

4. यह कि मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षण संबंधी मूल अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज जो विभाग द्वारा अपेक्षित हैं (यथा पहचान पत्र जो आवेदन पत्र में अंकित हो, न्यूनतम शैक्षिक पात्रता परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक, निवास, जाति, विकलांगता, भू.पू.सै. स्वयं से संबंधित प्रमाण पत्र) पूर्णतया सही हैं।

5. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त मूल अभिलेख एवं अन्य सूचनाएं यदि जांच के दौरान कूटरचित/फर्जी अथवा गलत पायी जाती है तो मुझे गैस्ट फैकल्टी से निर्मुक्त कर दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति के empellement से निर्मुक्त करते हुए मेरे विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही मुझे स्वीकार्य होगी जिसके लिए किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं करूंगा/करूंगी।

6. यह है कि मैं कार्य निष्पादन के दौरान निर्धारित उच्च मानदंडों के अनुसार अपनी सेवाएं प्रदान करूंगा/करूंगी तथा यदि मैं इसका उल्लंघन करता हूं/करती हूं तो संस्था एकतरफा कार्यवाही हेतु स्वतंत्र तथा अधिकृत होगी।

7. यह कि मैं जिला आवंटित होने के उपरांत स्थान परिवर्तन की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।

8. यह है कि मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूं कि जिस रिक्त पद के विरूद्ध शपथग्रहिता को गैस्ट फेकल्टी रखा गया है, उस पद पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जावेगी।

9. यह है कि मैंने यह अच्छे से समझ लिया है कि यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा एक सेमेस्टर या एक सेशन के लिये है तथा भविष्य में इसके आधार पर नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करूंगा/करूंगी।

10. इस व्यवस्था से नियमित नियुक्ति या अन्य किसी भी कारण से मुझे यदि गैस्ट फैकल्टी के रूप में नहीं बुलाया जाता है तो मेरे द्वारा न्यायिक या प्रशासनिक स्तर पर कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

11. मैं राज्य सरकार/विभाग/संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों की पूर्ण पालना करूंगा/करूंगी।

12. यह कि मुझे केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा समुचित प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय अथवा विभाग द्वारा पदच्युत नहीं किया गया है तथा नैतिक अधमता अथवा किसी अन्य अपराध के लिए दोष सिद्ध नहीं किया गया है और न ही कोई आपराधिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

13. मैंने यह समझ लिया है कि निम्न कार्य कुशलता, दुराचरण, अनियमितता तथा कार्य से अनुपस्थिति की दशा में संस्थान या सक्षम अधिकारी को बिना कारण बताये मुझे गैस्ट फैकल्टी के रूप में निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।

14. मैं राजकीय अभिलेख तथा सूचनाओं की गोपनीयता बनाये रखूंगा तथा इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार दण्डीय कार्यवाही का उत्तरदायी होउंगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं/करती हूं कि उपर्युक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से 14 में वर्णित तथ्य/सूचना मेरी जानकारी में सही तथा सत्य हैं, मैंने इनको भलिभांति पढ़ तथा समझ लिया है, मैंने कुछ भी असत्य व्यक्त नहीं किया है तथा न ही कुछ छिपाया है। यदि भविष्य में कोई सूचना/तथ्य असत्य या अपूर्ण सिद्ध होता है तो मैं स्वयं इसके लिये उत्तरदायी रहूंगा।

शपथग्रहिता

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकःशिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1ए/गेस्ट फेकलटी/12226/2024–25528–5729091 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले।

विषय :– माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदय का पत्र क्रमांक F.17(10)Edu-1/Q.Edu./2022-00494-2429645 जयपुर (राजकाज रेफरेंस नं0 24116683) दिनांक 18.08.2026 तथा वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग का परिपत्र क्रमांकः प. 6(2) वित्त/सा विले नि/2021 जयपुर दिनांक 30.03.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में प्राध्यापकों के रिक्त पदों पर "विद्या सम्बल योजना" के **प्रथम चरण** के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को "गेस्ट फैकल्टी" के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर लगाये जाने है। गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हेतु रिक्त पदों का निर्धारण करते समय यह सुनिश्चित किया जावें कि उक्त पद IFMS में स्वीकृत है तथा उक्त पद से किसी भी कार्मिक का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है।

साथ ही आपके जिले में पूर्व में इस संबंध में यदि कोई विज्ञप्ति/आदेश जारी किया गया है, तो उक्त विज्ञप्ति/आदेश को इस पत्र के संलग्न प्रेषित प्रारूप के अनुसार तत्काल संशोधित किया जाना सुनिश्चित करावें।

वर्तमान में नगर निकायों के चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू है। अतः उपरोक्त कार्यवाही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों हेतु ही की जावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(ललित कुमार)
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

प्रतिलिपिःनिम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, जयपुर।
6. स्टॉफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
7. संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/कार्मिक) कार्यालय हाजा।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
11. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर अनुभाग) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ),समसा

राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग

क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : **विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों–विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा–निर्देश एवं प्रक्रिया।**

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए **"विद्या संबल योजना"** लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्क अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

   इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरूद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यार्थियों को गैस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

4. गैस्ट फैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

   (क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार–संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :

पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड–III	1 से 8	300/–	21000/–
ग्रेड–II	9 से 10	350/–	25000/–
ग्रेड–I	11 से 12	400/–	30000/–
अनुदेशक	–	300/–	21000/–
प्रयोगशाला सहायक	–	300/–	21000/–

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/–	45000/–
सह आचार्य	1000/–	52000/–
आचार्य	1200/–	60000/–

6. गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ–पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फैकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य सत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।

9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।

(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04 /2021)